क्रम संख्या–13

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 11 फरवरी, 2026 ई0

माघ 22, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–03

संख्या 73/XVIII(3)/2026–02(02)2026

देहरादून, दिनांक 11 फरवरी, 2026

अधिसूचना

जनपद एवं तहसील देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत किरसाली चौक से कालागांव, अस्थल होते हुए रायपुर–कुमाल्ड़ा कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 4 मालदेवता तक मार्ग नव निर्माण हेतु ग्राम अस्थल, तहसील देहरादून जिला देहरादून में 0.1415 है0 भूमि का भू–अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा–11

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

प्ररूप–2

{नियम 5(1) देखें}

प्रारम्भिक अधिसूचना

संख्या 1710/आठ–वि0भू0अ0अ0/देहरादून/2025, दिनांकः 20/8/2025

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये–जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत किरसाली चौक से कालागांव, अस्थल होते हुए रायपुर–कुमाल्ड़ा कददूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 4 मालदेवता तक मार्ग के नव निर्माण हेतु ग्राम अस्थल, तहसील देहरादून, जिला देहरादून में 0.1415 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात प्रोफेसर, ओंकारानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉनी, ऋषिकेश(देहरादून) द्वारा सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारम्भिक जांच का सार कलेक्टर/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी(सदर) देहरादून, नगर निगम देहरादून, तहसील देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है तथा dehradun.nic.in की वैवसाईट पर अवलोकन किया जा सकता है।

भूमि अर्जन के कारण शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की सम्भावना है। अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देहरादून को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम अस्थल में उक्त परियोजना के लिए 0.1415 हैक्टेयर भूमि का विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता हैः–

ग्राम अस्थल, तहसील–देहरादून, जिला देहरादून

क्र0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं	वृक्ष की संख्या।	संरचनाएँ
1	2	3	4	5	6	7	11	13
1	156मि0	निजी नाप भूमि	भूमिधरी	0.0455 है0	कैप्टन एस0के0 सिंह पुत्र श्री आर0एन0 सिंह नि0 76 विकास लोक नं0 3, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून व श्री रमेश, श्री सुरेश, श्री दिनेश पुत्र श्री दीपचन्द, श्री अनूप, श्री मनोज कुमार, श्री राजेश सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, श्रीमती विनोदनी देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, श्री भरत सिंह, श्री मदन सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री सुनील, श्री धमेन्द्र पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह व श्रीमती गोमती देवी पत्नी स्व0 श्री नारायण सिंह समस्त निवासीगण ग्राम अस्थल।	उ0–भूमि अन्य द0– भूमि अन्य, पू0– भूमि अन्य, प0– भूमि अर्जय	—	--

2	157ख	निजी नाप भूमि	भूमिधरी	0.0960 है0	श्री शोभना पुत्र श्री हरिहर सिंह, अपालिका/अरुण प्रताप पंवार, कैप्टन एस0के0 सिंह पुत्र श्री आर0एन0 सिंह, श्रीमती शालिनी सिंह पत्नी श्री एस0के0 सिंह, श्री महादेव बहादुर पुत्र श्री स्व0 मेहरवान क्षेत्री, श्रीमती विमल विभा पत्नी श्री मंगल प्रताप पंवार, श्री उदयराज पंवार पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप पंवार, कु0 साक्षी सहगल पुत्री अशोक सहगल निवासी 619 आवास विकास कॉलोनी, रानीपुर मोड़ हरिद्वार	उ0–भूमि अन्य द0– भूमि अन्य, पू0– भूमि अन्य, प0– भूमि अर्जय	—	–
		योग–		0.1415 है0				

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून और उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय/ विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन को तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में, कलक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगें।

स्थान : देहरादून

समुचित सरकार/कलेक्टर,
देहरादून।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह नेगी,
अनु सचिव।

The Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

Form-II

[See Rule 5(1)]

No. 1710/VIII-SLAO/D.DUN/2025 Date 20/08/2025

Whereas it appears to the appropriate Government that a total of 0.1415 Hectare land is required in the Village Astal, Tehsil Dehradun District Dehradun for Public purpose, namely for new construction of road from Kirsali Chowk to Kalagaon, Asthal via Raipur-Kumalda Kaddukhaal motor road up to Km 4 Maldevta under Raipur assembly constituency of Dehradun district. Professor, Omkaranand Institute of Management and Technology, Rishikesh (Dehradun) Social Impact Assesment study was carried out by Social Impact Assessment (SIA) Unit and a report submitted/ preliminary investigation was conducted by a team constituted by Collector as laid down under rule 4. Social Impact Assesment Report/ preliminary investigation may be inspected in the office of the Collector/ Special Land Acquisition Officer Dehradun, S.D.M.(Sadar) Dehradun, Nagar Nigam Dehradun, Tehsildar Dehradun and can be viewed on the website- *dehradun.nic.in*

A Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. Additionl Majistrate (Adm.) Dehradun is appointed as Administrator for the purpose of rehablitation and resettlement of the effected families. Therefore it is notified that for the above said project 0.1415 Hectare land Village of Asthal, Tehsil Dehradun District Dehradun, whose detail description is as following, is under acquisition:

Village-Asthal, Tehsil-Dehradun, District-Dehradun

S.No.	Surver No.	Type of Tital	Type of land	Area under acquisition (Hectare)	Name and adress of person interested	Boundaries	Number of Trees	Houses etc Strature
1	2	3	4	5	6	7	11	13
1	156M	private land	landlord	0.0455 Hectare.	Captain S.K. Singh son of Shri R.N. Singh resident of 76 Vikas Lok No. 3, Sahastradhara Road, Dehradun and Mr. Ramesh, Mr. Suresh, Mr. Dinesh son of Mr. Deepchand, Mr. Anoop, Mr. Manoj Kumar, Mr. Rajesh Singh son of Mr. Prem Singh, Mrs. Vinodni Devi wife of Mr. Prem Singh, Mr. Bharat Singh, Mr. Madan Singh, Mr. Rajendra Singh, Mr. Sunil, Shri Dhamendra son of late Shri Narayan Singh and Smt. Gomti Devi wife of late Shri Narayan Singh, all residents of village Asthal	N- Land Other S- Land Other, E- Land Other, W- Land Other	—	--

2	157Kha	private land	landlord	0.0960 Hectare.	Shri Shobhana son of Shri Harihar Singh, Apalikha/Arun Pratap Panwar, Captain SK Singh son of Shri RN Singh, Mrs. Shalini Singh wife of Shri SK Singh, Shri Mahadev Bahadur son of late Meharwan Chhetri, Mrs. Vimal Vibha wife of Mr. Mangal Pratap Panwar, Mr. Udayraj Panwar son of Mr. Mahendra Pratap Panwar, Ms. Sakshi Sehgal daughter of Ashok Sehgal resident of 619 Awas Vikas Colony, Ranipur Mod, Haridwar	N- Land Other S- Land Other, E- Land Other, W- Land Other	—	—
		Total-		0.1415 है0				

This notification is made under the provision of section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparancy in Land Acquistion, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Dehradun and Special Land Acquisition Officer Dehradun on any working day during the working hours.

The government is pleased to authorize Special Land Acquisition Officer and his staff to enter upon and survey land, take level of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in Section 12 of the said Act.

Under Section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transation of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 60 (Sixty days) from the date of publication of this notification as provided Under Section 15 of the Act before Collector.

Place: Dehradun

Appropriate Government/Collector,
Dehradun.

By Order,

SURENDRA SINGH NEGI,
Under Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 राजस्व/58–2026–100+20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)